संख्या-43/2020/1883/पन्चानबे-2020-575 होगा/2008 टी0सी0-।।

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग लखनऊ, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020

विषय :आपराधिक मामलों में संलिप्त होमगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7865/कामिर्क/प्रस्ताव-105/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपराधिक मामलों में संलिप्त पाये जाने पर होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों के विरूद्ध सक्षम स्तर से निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय :-

(1) आपराधिक मामलों में अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त जेल में निरूद्ध होने पर तत्काल सम्बन्धित होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी को निलम्बित कर दिया जाय।

(2) होमगार्डस स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी के आपराधिक मामलों में अभियोग पंजीकृत होने के कारण जेल में निरूद्ध होने के पश्चात जमानत पर रिहा होने के बाद उसके प्रत्यावेदन पर परीक्षण करते हुए उसका निलम्बन समाप्त कर दिया जाय, तथा उसे नियमानुसार ड्यूटी पर नियोजित किया जाए।

(3) सात वर्ष या सात वर्ष से अधिक सजा के प्राविधान से सम्बन्धित आपराधिक मामलो में अरोप-पत्र (चार्जशीट) प्रस्तुत होने पर विभाग से निलम्बित कर दिया जाय।

(4) प्रश्नगत प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट (एफ0आर0) मा0 न्यायालय को प्रेषित किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित होमगार्ड्स/अवैतनिक अधिकारी को तत्काल सेवा पर बहाल कर दिया जाये।

(5) विभिन्न शमनीय अपराधों को छोडकर किसी भी आपराधिक मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर सम्बन्धित होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी को विभाग से पृथक कर दिया जाय और दोष मुक्त होने पर निलम्बन को समाप्त कर बहाल कर दिया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वतर्मान में होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारियों के विरूद्ध पूर्व से लम्बित अपराधिक मामलों में संलिप्त पाये जाने पर उनके निलम्बन तथा निष्कासन के उपरान्त विभिन्न प्रकरणों में सम्बन्धित होमगार्ड्स स्वंयसेवक/अवैतनिक अधिकारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकाएं योजित की गयी हैं। यदि ऐसे प्रकरणों में प्रस्तर-2 में वर्णित प्रक्रिया से भिन्न निर्णय लिया गया है तो जिला कमाण्डेन्ट प्रकरण पर सम्यक जॉच करते हुए अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव एक माह में होमगार्ड्स मुख्यालय को उपलब्ध करायगें। महासमादेष्टा होमगार्ड्स विभाग यथासंभव एक माह मे उपरोक्त आधार पर निर्णय लेते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

उक्त के कम में आवश्यकतानुसार सम्बन्धित रिट याचिका में तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्च्स की जाए।

भवदीय,
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-43/2020/1883(1)पन्चानबे-2020-575 होगा/2008 टी0सी0-।। तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्डस, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
3. समस्त जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0।
4. गार्डबुक।

आज्ञा से,
नरेन्द्र सिंह
संयुक्त सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।